**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 35**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**''पर्यावरणीय स्वीकृति में पारदर्शिता''**

**35. श्री मोहम्मद अली खान:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम-आधारित बनाए जाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस दिशा में पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कदम कब तक उठाए जाएंगे ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अपेक्षित परियोजनाओंं/गतिविधियों का उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाता है और निर्णय लिया जाता है । विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) की बैठकों की अनुसूची, बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त तथा पर्यावरण स्वीकृति पत्रों को पब्लिक डोमेन में मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है । इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न परिपत्र भी जारी किये हैं तथा इन्हें भी मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है ।

आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एसईआईएए) और राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ प्रभाव मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित होगा ।

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न नहीं उठता ।

**\*\*\*\***